

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:- जीसीएमएस नं. 2021/79

1. गुरुबचन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, जाति रायसिख, निवासी ग्राम सांखला, तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव/अध्यक्ष नगर विकास न्यास अलवर तहसील व जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोजेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 24.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला अलवर के आदेश दिनांक 18.03.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सांखला तहसील रामगढ, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 71 मिन रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा जिसे हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 5.82 हैक्टर में से 2.50 हैक्टर के अपीलार्थी अपने बुजुर्गन के फुट पर अरसे दराज से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व से लगातार उपयोग-उपभोग कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका अंकन गिरदावरी सम्वत 2021 से 2036 व खसरा परिवर्तनशील 2048, 2051, 2052, 2053, 2054, 2059, 2060 में अपीलार्थी के पिता लालसिंह बहैसियत काश्तकार दर्ज किया हुआ है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से पूर्व से कब्जे काश्त होने के कारण खातेदार काश्त हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उन्हें खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किया और उपरोक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्ष 2009 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के यहाँ राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर एवं तहसीलदार रामगढ के विरुद्ध प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 1/231 उनवनी गुरुबचन सिंह बनाम राजस्थान सरकार को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ अलवर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.10.2010 को डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 5.82 हैक्टर में से 2.50 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में गलत

P.T.O.

सभापति
जयपुर

इन्द्राज सिवायचक की आड में अपीलार्थी को जबरन बेदखल न करें इस प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जाने के का निर्णय डिक्री दिनांक 27.10.2010 पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों की रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 तहसीलदार रामगढ को सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.10.2011 एवं 28.10.2014 की अनुपालना में जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक राजस्व/भूरूपान्तरण जारी कर मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुरके पत्रांक 5955/5988 दिनांक 02.02.2011 के निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना में शामिल इन गाँवों की सिवायचक भूमि को नगर विकास न्यास अलवर को हस्तान्तरित करने के आदेश को आधार बनाते हुए बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बिना पक्षकार कायम किये ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 31.10.2012 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 31.10.2012 को यथावत रखे जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि-विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होने के आदेश उस व्यक्ति को नोटिस व सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय ना तो अपीलार्थी को नोटिस दिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया, ना ही वास्तविक कब्जे की जाँच की गई ऐसे नामान्तरकरण को चुनौती दिये जाने की कोई समय सीमा कानून में बांधित न होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं जो प्राकृतिक न्याय व न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता, प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा नियमित वाद में पक्षकारों साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2010 को ही पारित करने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील

अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 18.03.2021 एवं तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 31.10.2012 अपीलार्थी के हक तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।


अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(23)/न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 के अनुसरण में जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक राजस्व/12/9902-13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालय एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि के आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए भूमि का चिन्हिकरण कर प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित आरक्षित भूमि को दोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) स्थानीय निकायों में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को आज दिनांक 31.10.2012 को ही हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश की पालना में नामान्तरकरण अपीलाधीन तस्दीक किया गया है तथा उक्त दिनांक को वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड होने से नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज हुई है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं होते हैं तथा अपीलान्त द्वारा जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किये गये हैं उस आदेश को आदिनांक तक किसी भी समक्ष न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भी अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार व जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार हुये हैं जिन आदेशों की कोई अपील नहीं की गई है। ऐसे में उक्त आदेशों के अस्तित्व में रहते नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के प्रकरण संख्या 1/231 उनवान गुरुबचन सिंह पुत्र श्री लालसिंह बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 27.10.2010 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलान्त को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया गया है तथा समस्त ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी आदि के कब्जे काश्त के

खाने में वादी का नाम का इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट को दावे में ही खातेदार काशतकार घोषित किया जा चुका है तो उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के कोई ठोस कारण तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष नहीं थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 84 वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ़ जिला अलवर पर तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़, जिला अलवर के दावा संख्या 1/231 उनवान गुरुबचन सिंह बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 27.10.2010 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही करें।


(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर